

647

**BEFORE THE NATIONAL GREEN TRIBUNAL
PRINCIPAL BENCH, NEW DELHI**

ORIGINAL APPLICATION NO. 529/2023

IN THE MATTER OF

DR. SHARAD GUPTA

.....APPLICANT(s)

VERSUS

UNION OF INDIA & ORS.

.....RESPONDENT(s)

INDEX

S. NO.	PARTICULARS	PAGE NO.
1.	FURTHER PROGRESS REPORT ON BEHALF OF THE CHIEF CONSERVATOR OF FORESTS, WILDLIFE, WESTERN REGION, UTTAR PRADESH, KANPUR IN COMPLIANCE OF ORDER DATED 23.12.2025 PASSED BY HON'BLE NATIONAL GREEN TRIBUNAL	
2.	COPIES OF LETTERS DATED 11.03.2026 AND 12.03.2026 ARE ANNEXED HEREWITH AND COLLECTIVELY MARKED AS ANNEXURE-1	

3.	A COPY OF LETTER DATED 24.12.2025 IS ANNEXED HEREWITH AND MARKED AS ANNEXURE-2	
4.	A COPY OF LETTER DATED 02.01.2026 IS ANNEXED HEREWITH AND MARKED AS ANNEXURE-3	
5.	A COPY OF LETTER DATED 20.01.2026 IS ANNEXED HEREWITH AND MARKED AS ANNEXURE-4	


THROUGH COUNSEL



BHANWAR PAL SINGH JADON
STANDING COUNSEL FOR THE STATE OF U.P.
EMAIL-bhanwar09jadon@gmail.com
PHONE NO.-7838248353

Date: 17.03.2026

Place: Noida



BEFORE THE NATIONAL GREEN TRIBUNAL
PRINCIPAL BENCH, NEW DELHI

ORIGINAL APPLICATION NO. 529/2023

IN THE MATTER OF


DR. SHARAD GUPTA

.....APPLICANT(S)

VERSUS

UNION OF INDIA & ORS.

.....RESPONDENT(S)



FURTHER PROGRESS REPORT ON BEHALF OF THE CHIEF
CONSERVATOR OF FORESTS, WILDLIFE, WESTERN REGION,
UTTAR PRADESH, KANPUR IN COMPLIANCE OF ORDER DATED
23.12.2025 PASSED BY HON'BLE NATIONAL GREEN TRIBUNAL

I, Sanjio kumar, aged about 56 Years S/o
shri Lala Yogesh chandra Verma posted as Chief Conservator of Forests, Wildlife,
Western Region, Uttar Pradesh, Kanpur, do hereby solemnly affirm and state as
under:

- 1. That I, the Deponent in the above captioned matter, am fully conversant with
the facts of the case and am competent and authorized to swear the present


affidavit.


SURESH KUMAR
Advocate & Notary Public
17/175 Kal/14, Near Major Devi Das Marg
Nivaj Ganj, Chowk, Lucknow
Reg. No. 31(89)09 17.3.2026



2. That I state that the contents of this affidavit have been drafted by my counsel on my instructions, and the contents of the same are true to my knowledge and nothing material has been concealed therefrom.

I. BACKGROUND OF THE MATTER




3. That, the present Original Application pertains to the proposed expansion of the Soor Sarovar Birds Sanctuary, Agra, involving three pieces of land measuring 403.09 hectares, 380.558 hectares, and 14.5025 hectares. The final notifications under Section 26A of the Wild Life (Protection) Act, 1972, have been issued in respect of the first two areas, while the notification for the third area (14.5025) is currently under process.
4. That, the deponent, vide Affidavit dated 21.05.2025, submitted the timeline for *completion of the proceedings and issuance of the final notification under Section 26A of the Wildlife (Protection) Act, 1972*, and the Hon'ble Tribunal was pleased to record the same in paragraph 2 of the order dated 22.05.2025, which are as follows:

S. NO.	DATE RANGE	DETAILS OF PROCEEDINGS
1.	01.05.2025 to 07.07.2025	Time required for proceedings under Sections 19 to 22 of the Wildlife (Protection) Act, 1972 for the 14.5025-hectare area of Soor Sarovar Bird Sanctuary, Keetham, Agra.

SURESH KUMAR
Advocate & Notary Public
17/175 Ka/14, Near Majar Devi Das Marg
Nivaj Ganj, Chowk, Lucknow
Reg. No. 31(89)09

17-3-2026

2.	08.07.2025 15.10.2025	to	Time required for proceedings under Sections 24 and 25 of the Act.
3.	16.10.2025 16.12.2025	to	Time required for preparing field book, maps, and proposal after studying records and surveying the 14.5025-hectare area.
4.	17.12.2025 17.01.2026	to	Time required for reviewing the field book, maps, and proposal, and for submitting the proposal to higher authorities for notification under Section 26A of the Wildlife (Protection) Act, 1972.
5.	18.01.2026 31.01.2026	to	Time required to take further action after testing/examining the proposal of 14.5025 hectares by Principal Chief Conservator of Forests (Wildlife), Uttar Pradesh, Lucknow.
6.	01.02.2026 01.05.2026	to	Final notification under Section 26A (1)(a) of the Wildlife (Protection) Act, 1972 Government.



5. That, vide order dated 23.12.2025, the Hon'ble Tribunal directed as follows:

"...4. In such circumstances, we require the Respondent- CCF, Wildlife

Western Region Kanpur, UP to file further progress report atleast one week before the next date of hearing.

5. List on 19.03.2026..."

II. REPLY IS AS FOLLOWS



SURESH KUMAR
 Advocate & Notary Public
 17/175 K2/14, Near Majar Devi Das Marg
 Nivaj Ganj, Chowk, Lucknow
 Reg. No. 31(89)09

17.3.2026



6. That, the Deputy Conservator of Forests, National Chambal Sanctuary Project, Uttar Pradesh, Agra vide **letter No. 2619/10-1** dated **11.03.2026**, submitted the updated compliance with the directions of the Hon'ble Tribunal to the deponent. The same was approved by the deponent vide **letter No. 2155/10-1** dated **12.03.2026**, with directions to file a timely compliance affidavit before the Hon'ble Tribunal.

Copies of letters dated 11.03.2026 and 12.03.2026 are annexed herewith and collectively marked as **Annexure-1**.



7. That, Deputy Conservator of Forests, National Chambal Sanctuary Project, Uttar Pradesh, Agra, vide **letter no. 1770/10-1** dated **24.12.2025**, forwarded four copies of the proposal, signed by DM, Agra, for issuance of final notification under **Section 26A(1)(a)** of the Wildlife (Protection) Act, 1972 in respect of the area admeasuring **14.5025 hectares** of Soor Sarovar Bird Sanctuary, along with English and Hindi copies of the documents, field book and maps, to the deponent department, for examination/inspection and further necessary action.

A copy of letter dated 24.12.2025 is annexed herewith and marked as **Annexure-2**.

8. That, the deponent, vide **letter no. 1586/10-1** dated **02.01.2026**, forwarded the proposal for final notification under Section 26A(1)(a) to the Principal Chief Conservator of Forests (Wildlife), Uttar Pradesh, Lucknow, after

SURESH KUMAR
Advocate & Notary Public
17475 Ka/14, Near Major Devi Das Marg
Nival Ganj, Chowk, Lucknow
Reg. No. 31(89)09

17.3.2026

thorough examination of the English and Hindi documents, field book and map, for further necessary action.

A copy of letter dated 02.01.2026 is annexed herewith and marked as **Annexure-3**.

9. That, for compliance with the directions of the Hon'ble Tribunal, the Principal Chief Conservator of Forests (Wildlife), Uttar Pradesh, Lucknow, vide **letter no. 2591/10-1 (Court Case)** dated **20.01.2026**, forwarded the said proposal, after due examination/scrutiny of the English and Hindi documents, field book and map, to the Principal Secretary, Environment, Forest and Climate Change Department, Section-4, Government of Uttar Pradesh, Lucknow, for the remaining necessary action at the Uttar Pradesh Government level.

A copy of letter dated 20.01.2026 is annexed herewith and marked as **Annexure-4**.

10. That, it is most humbly submitted that the deponent department has adhered to the timelines in faithful compliance with the directions of the Hon'ble Tribunal, as noted in **paragraph no. 2** of the order dated **22.05.2025** (*kindly refer to para 4 of the present affidavit*), and that, in regards to the remaining **point no. 06** of the timeline declared in the said order (**Final notification under Section 26A (1)(a) of the Wildlife (Protection) Act, 1972 by the Government, Timeline- 01.02.2026 to 01.05.2026**), further compliance is presently under progress at the level of the Government of Uttar Pradesh.

SURESH KUMAR
Advocate & Notary Public
17/175 Ka/14, Near Major Devi Das Marg
Nivaj Ganj, Chowk, Lucknow
Reg. No. 31(89)09

17.3.2026

11.Hence, this reply is respectfully submitted for kind perusal of this Hon'ble Tribunal.

12.That everything stated above is true and correct to my knowledge, derived from official records, and nothing material has been concealed therefrom.



de
DEPONENT

VERIFICATION

Verified at Lucknow on this 17 day of March 2026, that the contents of the above affidavit from paragraphs 1 to 12 are true and correct to the best of my knowledge and belief. No part of it is false and nothing material has been concealed therefrom.

Solemnly affirmed before me in office today at 1:00 PM Sanjio Kumar who is identified as Self Clerk to me. I have satisfied myself by examining the deponent that he understands the contents of this affidavit which has been read out and explained by me.

de
DEPONENT

Suresh Kumar
SURESH KUMAR
Advocate & Notary Public
17/175 Ka/14, Near Major Devi Das Marg
Nivaj Ganj, Chowk, Lucknow
Reg. No. 31(89)09

17.3.2026

655

कार्यालय उप वन संरक्षक, राष्ट्रीय चम्बल सेंचुरी प्रोजेक्ट, उ०प्र०, आगरा।

पत्रांक

2619/10-1

दिनांक, आगरा,

11 मार्च,

2026

(Email: dfochambal@gmail.com, dfochambal@rediffmail.com)

सेवा में,

मुख्य वन संरक्षक,
वन्य जीव, पश्चिमी क्षेत्र,
उ०प्र० कानपुर।

विषय:-

मा० राष्ट्रीय हरित अधिकरण, नई दिल्ली में योजित ओ०ए०सं० 529/2023 (डा० शरद गुप्ता बनाम यूनियन ऑफ इण्डिया व अन्य) में पारित आदेश दिनांक 23-12-2025 के अनुपालन के सम्बन्ध में प्रोग्रेस रिपोर्ट शपथ पत्र के तौर पर दाखिल किये जाने के सम्बन्ध में।

संदर्भ:-

मा० राष्ट्रीय हरित अधिकरण, नई दिल्ली में योजित ओ०ए०सं० 529/2023 (डा० शरद गुप्ता बनाम यूनियन ऑफ इण्डिया व अन्य) में पारित आदेश दिनांक 23-12-2025

महोदय,

अनुरोधपूर्वक अवगत कराना है कि सूर सरोवर पक्षी विहार कीठम आगरा के सीमा सुव्यवस्थीकरण के सम्बन्ध में मा० राष्ट्रीय हरित अधिकरण में दाखिल ओ०ए०सं० 529/2023 में पारित आदेश दिनांक 23-12-2025 के अनुपालन में शपथपत्र के तौर पर दाखिल किये जाने के लिए प्रोग्रेस रिपोर्ट हेतु बिन्दुवार आख्या निम्नवत् है-

1-सूर सरोवर पक्षी विहार कीठम आगरा के सीमा सुव्यवस्थीकरण के सम्बन्ध में मा० राष्ट्रीय हरित अधिकरण में दाखिल ओ०ए०सं० 529/2023 में पारित आदेश दिनांक 23.12.2025 का प्रभावी अंश निम्नवत् है-(संलग्नक-1)

"4. In such circumstances, we require the Respondent-CCF, Wildlife Western Region Kanpur, UP to file further progress report atleast one week before the next date of hearing."

2-इसी क्रम में अवगत कराना है कि सूर सरोवर पक्षी अभ्यारण के सीमा सुव्यवस्थीकरण हेतु मा० राष्ट्रीय हरित अधिकरण नई दिल्ली में दाखिल ओ०ए० सं० 529/2023(डा० शरद गुप्ता बनाम यूनियन ऑफ इण्डिया व अन्य) में पारित आदेश दिनांक 22.05.2025 के पारित आदेश में घोषित टाइमलाइन जो कि निम्नवत् है-(संलग्नक-2)

S.No.	Date Range	Details of Proceedings.
1.	01.05.2025 to 07.07.2025	Time required for proceedings under Sections 19 to 22 of the Wildlife (Protection) Act, 1972 for the 14.5025-hectare area of Soor Sarovar Bird Sanctuary, Keetham, Agra.
2.	08.07.2025 to 15.10.2025	Time required for proceedings under Sections 24 and 25 of the Act.
3.	16.10.2025 to 16.12.2025	Time required for preparing field book, maps, and proposal after studying records and surveying the 14.5025-hectare area.
4.	17.12.2025 to 17.01.2026	Time required for reviewing the field book, maps, and proposal, and for submitting the proposal to higher authorities for notification under Section 26A of the Wildlife (Protection) Act, 1972.
5.	18.01.2026 to 31.01.2026	Time required to take further action after testing/examining the proposal of 14.5025 hectares by Principal Chief Conservator of Forests (Wildlife), Uttar Pradesh, Lucknow.
6.	01.02.2026 to 01.05.2026	Final notification under Section 26A (1)(a) of the Wildlife (Protection) Act, 1972 by the Government.

3-उपरोक्त टाइमलाइन के बिन्दु सं0 05 के समयबद्ध क्रियान्वयन हेतु सूर सरोवर पक्षी अभ्यारण के क्षेत्रफल 14.5025 हे0 वन्यजीव (संरक्षण) अधिनियम 1972 की धारा 26A(1)(a) की अंतिम अधिसूचना का जिलाधिकारी, आगरा के द्वारा हस्ताक्षरित प्रस्ताव 04 प्रति में एवं अंग्रेजी व हिन्दी आलेख, फील्ड बुक एवं मानचित्र के साथ इस कार्यालय के पत्रांक 1770/10-1 दिनांक 24-12-2025 द्वारा आपके कार्यालय में आवश्यक कार्यवाही (परीक्षण/निरीक्षण) हेतु प्रेषित किया गया है।
(संलग्नक-3)

4-आपके कार्यालय के पत्रांक 1586/10-1 दिनांक 02-01-2026 द्वारा सूर सरोवर पक्षी विहार अभ्यारण के क्षेत्रफल 14.5025 हे0 वन्य जीव (संरक्षण) अधिनियम 1972 की धारा 26A(1)(a) की अंतिम अधिसूचना का प्रस्ताव अंग्रेजी व हिन्दी आलेख, फील्ड बुक एवं मानचित्र को परीक्षण/जांच उपरान्त प्रधान मुख्य वन संरक्षक, वन्यजीव, उ0प्र0 लखनऊ को अग्रेतर कार्यवाही हेतु प्रेषित किया गया।

5-सूर सरोवर पक्षी विहार अभ्यारण के क्षेत्रफल 14.5025 हे0 वन्य जीव (संरक्षण) अधिनियम 1972 की धारा 26A(1)(a) की अंतिम अधिसूचना का प्रस्ताव अंग्रेजी व हिन्दी आलेख, फील्ड बुक एवं मानचित्र को परीक्षण/जांच उपरान्त प्रधान मुख्य वन संरक्षक, वन्यजीव, उ0प्र0 लखनऊ महोदय के कार्यालय पत्रांक 2591/10-1(कोर्ट केस) दिनांक 20.01.2026 द्वारा प्रमुख सचिव, महोदय पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग, अनुभाग-4 उ0प्र0 शासन, लखनऊ को आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित किया गया है।

6-मा0 राष्ट्रीय हरित अधिकरण नई दिल्ली में दाखिल ओ0ए0 सं0 529/2023(डॉ0 शरद गुप्ता बनाम यूनियन ऑफ इण्डिया व अन्य) में पारित आदेश दिनांक 22.05.2025 के पारित आदेश में घोषित टाइम लाइन के बिन्दु सं0 06 के अनुपालन में सूर सरोवर पक्षी अभ्यारण के क्षेत्रफल 14.5025 हे0 वन्यजीव (संरक्षण) अधिनियम 1972 की धारा 26A(1)(a) की अंतिम अधिसूचना निर्गत सम्बन्धी कार्यवाही उ0प्र0 शासन स्तर पर प्रक्रियाधीन है।

सूर सरोवर पक्षी विहार कीटम आगरा के सीमा सुव्यवस्थीकरण के सम्बन्ध में मा0 राष्ट्रीय हरित अधिकरण में दाखिल ओ0ए0सं0 529/2023 में पारित आदेश दिनांक 23.12.2025 के अनुपालन में प्रोग्रेस रिपोर्ट सुनवायी की अगली नियत तिथि 19-03-2026 को शपथ पत्र के तौर पर दाखिल किया जाना है। अतः उपरोक्त के आलोक में प्रोग्रेस रिपोर्ट को शपथ पत्र के रूप में तैयार किये जाने हेतु वांछित आख्या महोदय के अनुमोदन हेतु सादर प्रस्तुत है। सहमति की दशा में अनुमोदन प्रदान करने की कृपा करें।

भवदीया,

(चांदनी सिंह)

उप वन संरक्षक

राष्ट्रीय चम्बल सैक्चुरी प्रोजेक्ट,

उ0प्र0, आगरा

पत्रांक 2619 / 10-1 , उक्तदिनांकित।

प्रतिलिपि:-प्रधान मुख्य वन संरक्षक, वन्यजीव, उ0प्र0 लखनऊ को उपरोक्त के क्रम में सादर सूचनार्थ प्रेषित।

प्रतिलिपि:-मुख्य वन संरक्षक, कोर्टकेस, उ0प्र0 लखनऊ को उपरोक्तानुसार सादर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

(चांदनी सिंह)

उप वन संरक्षक

राष्ट्रीय चम्बल सैक्चुरी प्रोजेक्ट,

उ0प्र0, आगरा

कार्यालय मुख्य वन संरक्षक, वन्य जीव, पश्चिमी क्षेत्र, उत्तर प्रदेश, कानपुर।

पत्रांक : 2155 / 10-1 कानपुर, दिनांक, 12 मार्च 2026

सेवा में,

उप वन संरक्षक,
राष्ट्रीय चम्बल सैक्युरी प्रोजेक्ट,
आगरा।

विषय- मा0 राष्ट्रीय हरित अधिकरण में योजित ओ0ए0सं0 529/2023 (डा0 शरद गुप्ता बनाम यूनियन ऑफ इण्डिया व अन्य) में पारित आदेश दिनांक 23.12.2025 के अनुपालन के सम्बन्ध में शपथ पत्र के तौर पर दाखिल करने हेतु प्रोग्रेस रिपोर्ट की आख्या पर अनुमोदन के सम्बन्ध में।

संदर्भ- 1. इस कार्यालय का पत्रांक-1586/10-1, दिनांक 02.01.2026।
2. आपके कार्यालय का पत्रांक-2619/10-1, दिनांक-11.03.2026।

महोदया,

उपर्युक्त विषयक संदर्भित पत्रों का संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें। आपके संदर्भित पत्र दिनांक-11.03.2026 द्वारा प्रकरण में सूर सरोवर पक्षी अभ्यारण्य के क्षेत्रफल 14.5025 हे0 वन्यजीव (संरक्षण) अधिनियम 1972 की धारा 26 A(1)(a) की अंतिम अधिसूचना का जिलाधिकारी आगरा द्वारा हस्ताक्षरित प्रस्ताव 03 प्रति में अंग्रेजी व हिन्दी आलेख, फील्ड बुक एवं मानचित्र के साथ प्रधान मुख्य वन संरक्षक, वन्य जीव, उ0प्र0, लखनऊ महोदया को इस कार्यालय के संदर्भित पत्र दिनांक 02.01.2026 द्वारा टाइमलान के बिन्दु सं0 06 के क्रम में प्रेषित किया गया है।

सूर सरोवर पक्षी विहार कीठम आगरा के सीमा सुव्यवस्थीकरण के सम्बन्ध में मा0 हरित अधिकरण में दाखिल ओ0ए0सं0 529/2023 में पारित आदेश दिनांक-23.12.2025 का प्रभावी अंश निम्नवत् है-

“4. In such circumstances, we required the Respondent-CCF Wildlife Western Region Kanpur, UP to file further progress report at least one week before the next date hearing.”

अतः उक्त के आलोक में अद्यतन प्रोग्रेस रिपोर्ट दिनांक-11.03.2026 को शपथ पत्र के रूप में तैयार किये जाने हेतु वांछित आख्या से सहमति व्यक्त करते हुए अनुमोदन इस निर्देश के साथ प्रदान की जाती है कि मा0 राष्ट्रीय हरित अधिकरण द्वारा पारित आदेश दिनांक-23.12.2025 के अनुपालन में श्री भवर पाल सिंह जादौन, स्थायी अधिवक्त मा0 राष्ट्रीय हरित अधिकरण, नई दिल्ली से सम्पर्क स्थापित कर अद्यतन कार्य प्रगति दिनांक-11.03.2026 (प्रोग्रेस रिपोर्ट) सुनवाई की नियत तिथि 19.03.2026 के पूर्व शपथ पत्र के रूप में ससमय दाखिल कराने एवं प्रभावी पैरवी कराना सुनिश्चित करें तथा कृत कार्यवाही से इस कार्यालय को अवगत करने का कष्ट करें।

संलग्नक-उपरोक्तानुसार।

भवदीय,

12/03/26
(संजीव कुमार)

मुख्य वन संरक्षक, वन्य जीव
पश्चिमी क्षेत्र, उ0प्र0, कानपुर

पत्रांक- 2155 / समदिनांकित।

प्रतिलिपि-निम्नलिखित को उपर्युक्त के क्रम में सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है-

1. प्रधान मुख्य वन संरक्षक, वन्य जीव, उ0प्र0, लखनऊ।
2. मुख्य वन संरक्षक, कोर्ट केस, उ0प्र0, लखनऊ।
3. श्री भवर पाल सिंह जादौन, स्थायी अधिवक्ता मा0 राष्ट्रीय हरित अधिकरण, नई दिल्ली।

12/03/26
(संजीव कुमार)

मुख्य वन संरक्षक, वन्य जीव
पश्चिमी क्षेत्र, उ0प्र0, कानपुर

कार्यालय उप वन संरक्षक, राष्ट्रीय चम्बल सैंक्चुरी प्रोजेक्ट, उ०प्र०, आगरा।

पत्रांक 1770/10-1 आगरा दिनांक दिसम्बर, 24, 2025
(Email: dfochambal@gmail.com, dfochambal@rediffmail.com)

सेवा में,

मुख्य वन संरक्षक,
वन्यजीव, परिचमीक्षेत्र,
उ०प्र० कानपुर।

विषय:- मा० राष्ट्रीय हरित अधिकरण, में योजित ओ०ए०सं० 529/2023 (डा० शरद गुप्ता बनाम यूनियन ऑफ इण्डिया व अन्य) में पारित आदेश दिनांक 25-09-2025 के अनुपालन में सूर सरोवर पक्षी अभ्यारण्य के क्षेत्रफल 14.5025 हे० वन्यजीव (संरक्षण) अधिनियम 1972 की धारा 26A(1)(a) की अंतिम अधिसूचना के प्रस्ताव प्रेषित किये जाने के संबंध में।

महोदय,

उपरोक्त विषय के क्रम में अनुरोधपूर्वक अवगत कराना है कि सूर सरोवर पक्षी विहार कीटम आगरा के सीमा सुव्यवस्थीकरण के सम्बन्ध में मा० राष्ट्रीय हरित अधिकरण में दाखिल ओ०ए०सं० 529/2023 में दाखिल प्रतिशपथ पत्र दिनांक 21.05.2025 में उल्लिखित टाइमलाइन के समयबद्ध क्रियान्वयन हेतु एवं मा० राष्ट्रीय हरित अधिकरण नई दिल्ली द्वारा पारित आदेश 25.09.2025 के अनुपालन में सूर सरोवर पक्षी अभ्यारण्य के क्षेत्रफल 14.5025 हे० वन्यजीव (संरक्षण) अधिनियम 1972 की धारा 26A(1)(a) की अंतिम अधिसूचना के प्रस्ताव का कार्य पूर्ण होने का शपथ पत्र के तौर पर प्रोग्रेस रिपोर्ट दिनांक 23.12.2025 को मा० राष्ट्रीय हरित अधिकरण में दाखिल किया गया है।

उक्त के परिपेक्ष्य में सूर सरोवर पक्षी अभ्यारण्य के क्षेत्रफल 14.5025 हे० के वन्यजीव (संरक्षण) अधिनियम 1972 की धारा 24(1) की उद्घोषणा के उपरान्त सीमांकन कर फील्ड बुक व मानचित्र तैयार कराने हेतु इस कार्यालय के आदेश संख्या 851/10-1 दिनांक 26-09-2025 द्वारा वन्यजीव प्रतिपालक की अध्यक्षता में समिति गठित की गयी। उक्त समिति द्वारा प्रकरण से सम्बन्धित समस्त अभिलेखों का परीक्षण, मौके की पैमाइश, सीमांकन उपरान्त फील्ड बुक एवं मानचित्र एवं अन्य बिन्दुओं का परिशीलन करने के उपरान्त, जिलाधिकारी के समक्ष इस कार्यालय के पत्रांक 1628/10-1 दिनांक 09-12-2025 द्वारा प्रस्तुत किया गया।

सूर सरोवर पक्षी अभ्यारण्य के क्षेत्रफल 14.5025 हे० वन्यजीव (संरक्षण) अधिनियम 1972 की धारा 26A(1)(a) की अंतिम अधिसूचना हेतु प्रस्ताव व अंग्रेजी व हिन्दी आलेख, फील्ड बुक एवं मानचित्र के साथ जिलाधिकारी आगरा द्वारा हस्ताक्षरित प्रस्ताव 04 प्रतियों में प्रेषित है। उक्त के क्रम में आवश्यक कार्यवाही करने की कृपा करें।

अतः रिपोर्ट सादर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है।

संलग्नक:- उपरोक्तानुसार

o/c

भवदीया

(चौदनी सिंह)

उप वन संरक्षक,
राष्ट्रीय चम्बल सैंक्चुरी प्रोजेक्ट,
उ०प्र०, आगरा।

प्राप्त किया

29.12.25

जनपद आगरा के अर्न्तगत सूर सरोवर पक्षी विहार, कीठम आगरा के क्षेत्रफल 14.5025 हे० के वन्य जीव (संरक्षण) अधिनियम 1972 की धारा-26A(1)(a) के अर्न्तगत अंतिम अधिसूचना का प्रस्ताव-

सूर सरोवर पक्षी विहार कीठम आगरा के क्षेत्रफल 14.5025 हे० की वन्य जीव (संरक्षण) अधिनियम, 1972 के धारा-18 की अधिसूचना उत्तर प्रदेश सरकार की अधिसूचना संख्या 630/81-4-2024 दिनांक 27-12-2024 द्वारा की गयी है।(संलग्नक-1)

तत्कम में जिलाधिकारी आगरा द्वारा सूर सरोवर पक्षी विहार कीठम आगरा के 14.5025 हे० सरकारी भूमि की वन्य जीव (संरक्षण) अधिनियम 1972 की धारा 21 की उद्घोषणा दिनांक 24.04.2025 (संलग्नक-2) को की गयी।

इसी क्रम में जिलाधिकारी आगरा द्वारा वन्य जीव (संरक्षण) अधिनियम 1972 की धारा-22 की जांच के उपरान्त दिनांक 16-09-2025 को सूरसरोवर पक्षी विहार कीठम आगरा की वन्य जीव (संरक्षण) अधिनियम की धारा 24(1) (संलग्नक-3) की उद्घोषणा की गयी, जिसके अनुसार सूर सरोवर पक्षी विहार, कीठम आगरा के क्षेत्रफल 14.5025 हे० का विवरण निम्नवत् है-

वन खण्ड-1

गाटा सं०	ग्राम	क्षेत्रफल (हे०)
04	रुनकता	0.350
01	रुनकता	0.599
कुल योग		0.949हे०

वन खण्ड-2

गाटा सं०	ग्राम	क्षेत्रफल (हे०)
99	चौमा फरह	0.691
101	चौमा फरह	12.795
कुल योग		13.486हे०

वन खण्ड-3

गाटा सं०	ग्राम	क्षेत्रफल (हे०)
18	रुनकता	0.0675
कुल योग		0.0675हे०

क्षेत्रफल का कुल योग

वन खण्ड	ग्राम	क्षेत्रफल (हे०)
1	रुनकता	0.949
2	चौमा फरह	13.486
3	रुनकता	0.0675
कुल योग		14.5025हे०

अतः सूर सरोवर पक्षी विहार कीठम आगरा के क्षेत्रफल 14.5025 हे० के वन्य जीव (संरक्षण) अधिनियम 1972 की धारा-26A(1)(a) की अंतिम अधिसूचना के लिए प्रस्ताव मय विज्ञप्ति हेतु हिन्दी व अंग्रेजी आलेख, खतौनी, सीमांकन की फील्ड बुक एवं मानचित्र (संलग्नक-4) के साथ 05 प्रतियों में प्रेषित है। उक्त के क्रम में आवश्यक कार्यवाही करने की कृपा करें।


जिलाधिकारी, आगरा

कार्यालय उप वन संरक्षक, राष्ट्रीय चम्बल सैक्चुरी प्रोजेक्ट, उ०प्र० आगरा।
पत्रांक 1718 /10-1 आगरा, दिनांक, दिसम्बर, 19 2025

प्रतिलिपि:-निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. प्रमुख सचिव, वन उत्तर प्रदेश शासन, लखनऊ।
2. प्रधान मुख्य वन संरक्षक और विभागाध्यक्ष, उ०प्र० लखनऊ।
3. प्रधान मुख्य वन संरक्षक, वन्य जीव, उ०प्र०, लखनऊ।
4. अपर प्रधान मुख्य वन, संरक्षक, आगरा जोन, आगरा।
5. मुख्य वन संरक्षक, वन्य जीव, पश्चिमी क्षेत्र, उ०प्र०, कानपुर।
6. वन संरक्षक, आगरा वृत्त, आगरा।
7. आयुक्त, आगरा मण्डल।
8. जिलाधिकारी, आगरा।
9. उप वन संरक्षक, राष्ट्रीय चम्बल सैक्चुरी प्रोजेक्ट, उ०प्र० आगरा।
10. प्रभागीय निदेशक, सामाजिक वानिकी प्रभाग, आगरा।
11. जिला सूचना अधिकारी, आगरा।
12. क्षेत्रीय वन अधिकारी, सूरसरोवर पक्षी विहार, कीठम, आगरा।
13. नोटिस बोर्ड।


जिलाधिकारी, आगरा

कार्यालय मुख्य वन संरक्षक, वन्य जीव, पश्चिमी क्षेत्र, उत्तर प्रदेश, कानपुर।
पत्रांक : 1586 / 10-1, कानपुर, दिनांक, 02 दिसम्बर, 2026
जनवरी

सेवा में,

प्रधान मुख्य वन संरक्षक,
वन्य जीव,
उ०प्र० लखनऊ।

विषय:- मा० राष्ट्रीय हरित अधिकरण, में योजित ओ०ए० संख्या-529/2023 (डा० शरद कुमार गुप्ता बनाम यूनियन ऑफ इण्डिया व अन्य) में पारित आदेश दिनांक 25.09.2025 के अनुपालन में सूर सरोवर पक्षी अभ्यारण्य के क्षेत्रफल 14.5025 हे० वन्यजीव (संरक्षण) अधिनियम 1972 की धारा 26A(1)(a) की अंतिम अधिसूचना के प्रस्ताव प्रेषित किये जाने के सम्बन्ध में।

महोदया,

उपरोक्त विषयक के क्रम में उप वन संरक्षक, राष्ट्रीय चम्बल सैक्चुरी प्रोजेक्ट, आगरा के पत्रांक-1770/10-1, दिनांक-24.12.2025 द्वारा अवगत कराया गया है कि सूर सरोवर पक्षी विहार कीटम, आगरा के सीमा सुव्यवस्थीकरण के सम्बन्ध में मा० राष्ट्रीय हरित अधिकरण में दाखिल ओ०ए०सं० 529/2023 में दाखिल प्रतिशपथ पत्र दिनांक-21.05.2025 में उल्लिखित टाइमलाईन के समयबद्ध क्रियान्वयन हेतु एवं मा० राष्ट्रीय हरित अधिकरण, नई दिल्ली द्वारा पारित आदेश दिनांक 25.09.2025 के अनुपालन में सूर सरोवर पक्षी विहार अभ्यारण्य के क्षेत्रफल 14.5025 हे० वन्यजीव (संरक्षण) अधिनियम 1972 की धारा 26A(1)(a) की अंतिम अधिसूचना के प्रस्ताव का कार्य पूर्ण होने का शपथ पत्र के तौर पर प्रोग्रेस रिपोर्ट दिनांक 23.12.2025 को मा० राष्ट्रीय हरित अधिकरण में दाखिल किया जाना है।

उक्त के परिपेक्ष्य में सूर सरोवर पक्षी विहार अभ्यारण्य के क्षेत्रफल 14.5025 हे० वन्यजीव (संरक्षण) अधिनियम 1972 की धारा 24(1) की उद्घोषणा के उपरान्त सीमांकन कर फील्ड बुक व मानचित्र तैयार कराने हेतु कार्यालय उप वन संरक्षक, राष्ट्रीय चम्बल सैक्चुरी प्रोजेक्ट, आगरा के आदेश संख्या-851/10-1, दिनांक-26.09.2025 द्वारा वन्य जीव प्रतिपालक की अध्यक्षता में समिति गठित की गयी। उक्त समिति द्वारा प्रकरण से सम्बन्धित समस्त अभिलेखों का परीक्षण, मौके की पैमाइश, सीमांकन उपरान्त फील्ड बुक एवं मानचित्र एवं अन्य बिन्दुओं का परिशीलन करने के उपरान्त जिलाधिकारी के समक्ष कार्यालय उप वन संरक्षक, राष्ट्रीय चम्बल सैक्चुरी प्रोजेक्ट, आगरा के पत्रांक-1628/10-1, दिनांक-09.12.2025 द्वारा प्रस्तुत किया गया।

सूर सरोवर पक्षी विहार अग्यारणय के क्षेत्रफल 14.5025 हे० वन्यजीव (संरक्षण) अधिनियम 1972 की धारा 26A(1)(a) की अंतिम अधिसूचना हेतु प्रस्ताव अंग्रेजी व हिन्दी आलेख, फील्ड बुक एवं मानचित्र के साथ जिलाधिकारी आगरा द्वारा हस्ताक्षरित प्रस्ताव 03 प्रतियों में प्रेषित है। उक्त के क्रम में आवश्यक कार्यवाही करने की कृपा करें।

संलग्नक:- उपरोक्तानुसार

भवदीय,
3/1/20

(संजीव कुमार)

मुख्य वन संरक्षक, वन्य जीव
पश्चिमी क्षेत्र, उ०प्र०, कानपुर

पत्रांक 1586 / समदिनांकित।

प्रतिलिपि:-अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक, भू-अभिलेख एवं बन्दोबस्त उ०प्र० लखनऊ को उपरोक्त के क्रम में सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

3/1/20

(संजीव कुमार)

मुख्य वन संरक्षक, वन्य जीव
पश्चिमी क्षेत्र, उ०प्र०, कानपुर

महत्वपूर्ण/ई-मेल

कार्यालय प्रधान मुख्य वन संरक्षक, वन्य जीव, उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

पत्रांक- 2591 /10-1 (कोर्ट केस) लखनऊ, दिनांक 20 जनवरी, 2026

सेवा में,

प्रमुख सचिव,
पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग,
अनुभाग-4 उत्तर प्रदेश शासन, लखनऊ।

विषय:- मा0 राष्ट्रीय हरित अधिकरण, नई दिल्ली में योजित ओ0ए0 संख्या-529/2023 (डा0 शरद गुप्ता बनाम यूनियन ऑफ इण्डिया व अन्य) में पारित आदेश दिनांक 25.09.2025 के अनुपालन में सूर सरोवर पक्षी अभ्यारण्य के क्षेत्रफल 14.5025 हे0 का वन्यजीव (संरक्षण) अधिनियम 1972 की धारा 26 A(1)(a) की अंतिम अधिसूचना के प्रस्ताव प्रेषित किए जाने के सम्बन्ध में।

संदर्भ:- मुख्य वन संरक्षक, वन्य जीव, पश्चिमी क्षेत्र, उत्तर प्रदेश, कानपुर के पत्र संख्या-1586/10-1 दिनांक 02.01.2026

महोदय,

अवगत कराना है कि विषयक प्रकरण में उप वन संरक्षक, राष्ट्रीय चम्बल सेंचुरी प्रोजेक्ट, आगरा के पत्रांक-1770/10-1 दिनांक 24.12.2025 के सन्दर्भगत सूर सरोवर पक्षी विहार कीटम, आगरा के सीमा सुव्यवस्थीकरण के सम्बन्ध में मा0 एन0जी0टी0 में योजित ओ0ए0 संख्या-529/2023 में दाखिल शपथ पत्र दिनांक 21.05.2025 में उल्लिखित टाइमलाइन के अनुसार समयबद्ध क्रियान्वयन हेतु मा0 एन0जी0टी0 नई दिल्ली द्वारा पारित आदेश दिनांक 25.09.2025 के अनुपालन में सूर सरोवर पक्षी विहार अभ्यारण्य के क्षेत्रफल 14.5025 हे0 को वन्यजीव (संरक्षण) अधिनियम 1972 (यथासंशोधित) की धारा 26 A(1)(a) के अन्तर्गत अन्तिम अधिसूचना आलेख प्रेषित करने के पूर्व कार्यपूर्णता की अपेक्षित प्रगति रिपोर्ट दिनांक 23.12.2025 को शपथ पत्र के माध्यम से मा0 एन0जी0टी0 के समक्ष दाखिल किए जाने की सूचना मुख्य वन संरक्षक, वन्य जीव, पश्चिमी क्षेत्र, उ0 प्र0 कानपुर के सन्दर्भित पत्र दिनांक 02.01.2026 द्वारा प्रेषित की गयी है। तदक्रम में सूर सरोवर पक्षी विहार अभ्यारण्य के क्षेत्रफल 14.5025 हे0 क्षेत्र को वन्यजीव (संरक्षण) अधिनियम 1972 (यथासंशोधित) की धारा 26 A(1)(a) के अन्तर्गत अन्तिम अधिसूचना जारी कराने हेतु जिलाधिकारी आगरा द्वारा हस्ताक्षरित अन्तिम अधिसूचना आलेख हिन्दी व अंग्रेजी भाषा में फील्ड बुक व मानचित्र सहित प्रेषित किया गया है।

सन्दर्भित विषयक अधिसूचना आलेख को फील्ड बुक व मानचित्र सहित संलग्न कर अग्रेतर कार्यवाही हेतु प्रेषित है।

संलग्नक-उपरोक्तानुसार।

भवदीया,

(अनुराधा वेमूरी)

प्रधान मुख्य वन संरक्षक, वन्य जीव,
उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

पत्रांक- 2591 / उक्तदिनांकित।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं वन आश्रय से प्रेषित कि विषयक प्रकरण मे शासन से समन्वय स्थापित कराकर उपरोक्तानुसार आवश्यक कार्यवाही कराने के लिए करें।

- 1- मुख्य वन संरक्षक, वन्य जीव, पश्चिमी क्षेत्र, उत्तर प्रदेश, कानपुर।
- 2- उप वन संरक्षक, राष्ट्रीय चम्बल सेंचुरी प्रोजेक्ट, उ0 प्र0 आगरा।



(अनुराधा वेमूरी)

प्रधान मुख्य वन संरक्षक, वन्य जीव,
उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

C.C.

21/1/2026